नागरिक अधिकार–पत्र

पशुपालन विभाग, उ0प्र0

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गयी। इससे पूर्व सिविल वेटरिनरी डिपार्टमेन्ट एवं कृषि विभाग द्वारा ही पशुपालन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय पशुपालन विभाग मुख्यतः पशु रोग नियंत्रण एवं अश्व प्रजनन का कार्य करता था। बाद में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना होने पर पशुपालन का सर्वाग्रीण विकास करने हेतु पशु चिकित्सा एवं रोग नियंत्रण के साथ साथ पशुधन विकास, प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये। वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है जो किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है।

❖ विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उद्देश्य :–

1. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करना।
2. विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियों से विभिन्न पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा स्वदेशी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
3. पशुधन हेतु पर्याप्त चारा एवं पोषण की व्यवस्था करना तथा उन्नत पशु प्रबन्धन विधियों का प्रचार प्रसार करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को गाँवों में ही स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उद्यमिता विकास और उसमें व्यवसायिक विविधिकरण हेतु चेतना जागृत करना।
5. गो नस्ल, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना ।
6. प्रदेश में विभिन्न पशुधन उत्पादों की क्षमता में वृद्धि कर दूध, ऊन, अण्डा व माँस आदि का उत्पादन बढ़ाना।
7. कृषको की आय को दोगुनी किये जाने में सहयोग प्रदान किया जाना।
8. गरीबोत्थान हेतु विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं का संचालन किया जाना।
9. निराश्रित गोवंश के संरक्षण का कार्यक्रम संचालित।
10. मा0 मुख्यमन्त्री सहभागिता योजना का संचालन।

❖ **पशुपालकों एवं ग्रामीणों के प्रति विभाग की प्रतिबद्धताः–**

पशुपालन विभाग द्वारा किसानों के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्न सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैः–

1. पशु चिकित्सा हेतु निरन्तर सेवायें 2202 पशुचिकित्सालयों, 267 ''द'' श्रेणी औषाधलयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में पशु चिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्र उपलब्ध हैं।

2. प्रदेश में 821 विकास खण्डों में बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा वाहनों द्वारा कृषको के द्वार पर पशुपालन की सुविधायें प्रदान की जा रही है।

3. विभिन्न पशु बीमारियों के नियंत्रण हेतु सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। गलाघोटू, बी0क्यू0, खुरपकॉ–मुँहपका रोग निदान हेतु निःशुल्क टीकाकरण सम्पादित किया जाता है, साथ ही पशु मेला तथा हाटों में भी पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

4. पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जाँच/पैथालाजी की सुविधा मण्डल स्तर पर 10 मण्डलीय रोग निदान प्रयोगशालाओं तथा राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय प्रयोगशाला (लखनऊ) द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। 65 जनपदों में सदर पशुचिकित्सालय पर नवीन पशु रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित की गयीं हैं।

5. प्रदेश को खुरपका–मुँहपका बीमारी से मुक्त कराने हेतु पशुओं में खुरपका–मुँहपका बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

6. निदेशालय स्थित डिजीज़ सर्वेलेन्स एवं मॉनीटिरिंग सेल द्वारा प्रदेश में पशुओं की 45 प्रमुख बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से रोग सर्विलॉन्स का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

7. रैबीज, स्वाइन फीवर, टी0बी0, ब्रुसोलोसिस, पुलोरम तथा मुर्गियों की प्रमुख बीमारियों के निदान एवं नियंत्रण हेतु विशेष ईकाइयाँ कार्यरत है।

8. वर्तमान समय में बाँझपन पशुओं की उर्वरता में ह्रास हो रहा है जिसके निवारण हेतु प0 दीनदयाल उपाध्याय बाँझपन निवारण शिविर लगाकर पशुपालकों को सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। स्टर्लिटी, इन्फर्टिलिटी एवं एर्बाशन कन्ट्रोल हेतु विशेष ईकाइयाँ कार्यरत है।

9. पशुधन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रमुख रूप से गायों एवं भैसों में प्रजनन कार्य अतिहिमीकृत वीर्य तथा नैसर्गिक अभिजनन द्वारा किया जा रहा है। प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद् का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से गाय, भैस प्रजनन कार्यक्रम की निरन्तरता के लिये विशेष सुविधा निरन्तर उपलब्ध करायी जा रही है।

10. प्रजनन आच्छादन को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। समेकित ढ़ग से लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दृष्टिकोण 2030 तैयार कर लिया गया है। पशु प्रजनन नीति–2002 को पुर्नरीक्षित कर प्रजनन नीति–2018 क्रियान्यिवित की जा रही है। कृषकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं को उपलब्ध करानें हेतु स्वरोजगार सृजन कर पैरावेट की व्यवस्था की गयी है।

11. प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु संशोधित गोवध निवारण अधिनियम लागू है।

12. प्रदेश में अश्व प्रजाति के पशुओं की घातक बीमारी ग्लेण्डर्स/फार्सी उन्मूलन हेतु ग्लैण्डर्स/फार्सी सर्विलियंस योजना के अन्तर्गत अश्वों के मालिकों को नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है।

13. अन्ना प्रथा उन्मूलन एवं आवारा/छुट्टा पशुओं से बचाव हेतु पंजीकृत गोशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं गोसंरक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे है।

14. चारा विकास के अन्तर्गत पशुपालको को प्रमाणित चारा बीज मिनीकिट का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है तथा अपौष्टिक से पौष्टिक चारा बनाने हेतु प्रदर्शन कार्यक्रम किये जा रहे है।

15. भेड़ बकरियों के नस्ल सुधार हेतु 02 भेड़ प्रक्षेत्र, 180 भेड़ और ऊन प्रसार केन्द्र, 5 मेढ़ा केन्द्र, 12 भेड सहायक केन्द्र, 1 सघन भेड़ विकास प्रायोजना तथा 5 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों द्वारा पशुपालकों को सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। इसी के साथ सूकर नस्ल सुधार हेतु 6 सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 34 सूकर विकास खण्ड द्वारा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है। पशुपालकों को मेढ़ा साड़, बकरा सॉड़ तथा सूकर सॉड़ का वितरण भी किया जा रहा है।

16. कुक्कुट एवं बत्तख विकास कार्यक्रम को गतिशील करने हेतु विभाग के कुक्कुट एवं बत्तख प्रक्षेत्रों की स्थापना की गयी है। बैकयार्ड कुक्कुट पालन अन्तर्गत चूजो का वितरण किया जाता है।

17. पशुधन विकास को बढ़ावा देने हेतु पशु आहार तथा कुक्कुट आहार को बिक्री कर से पूर्णतया मुक्त है।

18. बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवक युवतियों को लाभान्वित करने के लिये, बकरी, भेड़, सूकर, तथा कुक्कुट ईकाई की स्थापना करवाई जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा उनके लिये उक्त हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

19. प्रदेश के नागरिकों को अरोग्यदायी एवं स्वच्छ मांस उपलब्ध करानें हेतु वधशालाओं पर विभाग द्वारा गुणवत्ता मांस उत्पादन सुनिश्चित करानें की व्यवस्था की जा रही है।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त किये जाने वाले शुल्कों का विवरण निम्नवत हैः–

❖ **पशु प्रजनन एवं पशु चिकित्सा सेवायें –**

क्र0सं0	सेवा का विवरण	सेवा शुल्क (रूपये)
1–	**कृत्रिम गर्भाधान शुल्क**	
अ–	मुख्यालय पर	30.00
ब–	पशु स्वामी के द्वार पर	40.00
2–	**चिकित्सा शुल्क**	**(रूपये)**
अ–	बड़े पशु	5.00
ब–	भेड/बकरी/सूकर	2.00
स–	कुत्ता/बिल्ली	10.00
3–	**शवविच्छेदन शुल्क**	
अ–	बडे पशुःगाय/भैंस/घोडा आदि	30.00
ब–	छोटे पशुःभेड/बकरी/सूकर	6.00
स–	कुक्कुट	2.50
4–	**स्वास्थ्य परीक्षण**	
अ–	बडे पशु	15.00
ब–	छोटे पशु	5.00
5–	**रोग निदान सेवायें**	
अ–	रक्त की जांच	3.00
ब–	गोबर की जांच	2.50
स–	मूत्र की जांच	2.50
6–	**बधियाकरण/टीकाकरण**	**निःशुल्क**

❖ <u>पशुपालको को दी जाने वाली सुविधायें –</u>

1. पशुचिकित्सालयों पर सुविधायें :

- टीकाकरण
- चिकित्सा
- कृत्रिम गर्भाधान एवं गर्भ परीक्षण
- बधियाकरण
- चारा बीज (मांग पर)
- उन्नत पशुपालन विधियो को अपनाने हेतु सलाह
- पशु स्वास्थ्य परीक्षण/पशुधन बीमा
- प्राथमिक रोग निदान जांच
- शव विच्छेदन

2. पशुपालक के द्वार पर सुविधायें :

- पशुपालको के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान
- टीकाकरण
- आपात चिकित्सा
- पशुधन बीमा

3. पशु सेवा केन्द्रो पर सुविधायें :

- प्राथमिक चिकित्सा
- टीकाकरण
- बधियाकरण
- कृत्रिम गर्भाधान एवं गर्भ परीक्षण
- चारा बीज (मांग पर)

❖ **सेवा समय सारणी :**

1	चिकित्सा	तत्काल, पशुचिकित्सालय पर
2	टीकाकरण	वर्षभर, पशुपालको के द्वार पर
	गलाघोंटू	पशुचिकित्सालय पर तत्काल,गांव में अनुरोध के अगले दिन (मानसून के पूर्व,दौरान एवं बाद में)
	खुरपका मुंहपका रोग	गांव में टीकाकरण कार्यक्रम के अनुरूप
	स्वाइन फीवर	अनुरोध के तीन दिन के अर्न्तगत, टीके की उपलब्धता के आधार पर
	पी0पी0आर0	अनुरोध के अगले दिन, टीके की उपलब्धता के आधार पर
	कुक्कुट टीका	अनुरोध के अगले दिन, टीके की उपलब्धता के आधार पर
3	कृत्रिम गर्भाधान	पशुचिकित्सालय पर पशु लाये जाने के 1 घंटे के अन्दर, पशु स्वामी के द्वार पर अनुरोध के उपरान्त कृत्रिम गर्भाधान के उपर्युक्त समय पर (सुबह गर्मी में आये पशु को शाम को एवं शाम को गर्मी में आये पशु को सुबह)
4	शव विच्छेदन	शव की उपलब्धता के बाद तत्काल
5	आउटब्रेक नियन्त्रण	सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित क्षेत्र में पहुंच कर
6	गोशालाओं का पंजीकरण	आनलाईन किया जा रहा है
7	पशुचिकित्सा विद्वों का पंजीकरण एंव नवीनीकरण	आनलाईन किया जा रहा है
8	पशु मित्रों को मानदेय दिया जाना	पशु मित्रों द्वारा किये गये कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न वत्सों के आधार पर मानदेय दिया जाना

- विभागीय लेवी प्रत्येक पशुचिकित्सालय एवं पशुसेवा केन्द्र पर प्रदर्शित।
- विभागीय संस्थाओ पर उपलब्ध औषधियों /टीको की सूची प्रदर्शित।
- सभी विभागीय संस्थाओं पर उच्चाधिकारियो के मोबाइल नम्बर अंकित।

प्रान्तीय स्तर पर विभागाध्यक्ष/निदेशक, अपर निदेशक ग्रेड–I एवं संयुक्त निदेशकों से, मण्डलीय स्तर पर अपर निदेशक ग्रेड–II, पशुपालन विभाग से तथा जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर समस्याओं का निराकरण कराया जा सकता है।

निदेशालय स्थित अधिकारियों के दूरभाष/ई–मेल निम्नवत हैः–

अधिकारी का पदनाम	दूरभाष संख्या	ई–मेल
	कार्यालय	
निदेशक, प्रशासन एवं विकास	2740238 2740482	1- directorahd@yahoo.com 2- dir-ah@up.nic.in
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र	2742880	dirdcf.ah-up@gov.in
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	2740234	
अपर निदेशक ग्रेड–I (गोधन)	27400010	
संयुक्त निदेशक(कुक्कुट)	2740102	
उप निदेशक(नियोजन)	2740190	
वित्त नियन्त्रक	2740237	

पशुधन समस्या निवारण केन्द्र, पशुपालन निदेशालय,लखनऊ, टोलफ्री नं0–1800–180–5141 है दूरभाष –0522–2741992, 2741991